3904-07/19 # भिवाडी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण 26/12/19

मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 समिति की 04 बैठक दिनांक 20.12.2019 का

कार्यवाही विवरण

उद्योग विभाग (ग्रुप 1) के द्वारां जारी आदेश दिनांक 30.05.2018 द्वारा गठित भिवाडी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण की मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 समिति की 04 बैठक डी.एम.आई.सी. जयपुर बीडा के आदेश दिनांक 28.11.2018 की पालना में मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीडा भिवाडी की अध्यक्षता में दिनांक 20.12.2019 को 01.00 बजे बीडा कार्यालय मे आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारीगणों ने भाग लिया:–

1.	श्री पूर्णा राम बेनीवाल	वरि0 नगर नियोजक, बीडा भिवाडी	सदस्य सचिव
2.	श्री विनित कुमार नगायच	अधिशाषी अभियन्ता, बीडा भिवाडी	सदस्य
3	श्री रतन लाल	का0 तहसीलदार/भूमि निरीक्षक बीडा भिवाडी	सदस्य
4	श्रीमति इशिता जे कुमार	उप नगर नियोजक बीडा भिवाडी	

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा प्रकरणो पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया तदउपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये:

Scanned with CamScanner

बैठक	04
प्रकरण का प्रकार	ले–आउट प्लान/साईट प्लान अनुमोदन हेतु
दिनांक	20.12.2019
एजेण्डा	01

1	विषय	मै0 त्रेहान अपना घर प्रा0 लि0 जरिये निदेशक श्री अशोक सैनी पुत्र श्री सोहन लाल सैनी निवासी नया बास अलवर, द्वारा ग्राम धिरियावास तह0 तिजारा के ख0न0 496, 497, 498, 600, 602, 603, 936/497, 938/498, 939/498, 953/601, 608, 499, 940/498, 953/611 कुल किता 14 कुल रकबा 51821 वर्ग मी0 भूमि का मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधान 3ए अधीन साईट प्लान अनुमोदन बाबत।
2	आवेदक का नाम	मै0 त्रेहान अपना घर प्रा0 लि0 जरिये निदेशक श्री अशोक सैनी पुत्र श्री सोहन लाल सैनी निवासी नया बास अलवर,
3	भूखण्ड का क्षेत्रफल	51821 वर्ग मी0
4	भूखण्ड के सामने सडक की चौडाई	18 मी0 (ग्रामीण)
5	भूखण्ड का उपयोग	आवासीय (मुख्यमंत्री जन आवास योजना)
6	स्वामित्व रिपोर्ट	01. निजी खातेदार मै0 अपना घर प्रा0 लि0 जरिये निदेशक श्री अशोक सैनी पुत्र श्री सोहन लाल सैनी निवासी नया बास अलवर, द्वारा ग्राम धिरियावास तह0 तिजारा के ख0न0 496, 497, 498, 600, 602, 603, 936/497, 938/498, 939/498 कुल किता 09 कुल रकबा 3.7426 है0 भूमि का आवासीय प्रयोजनार्था राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए के अन्तर्गत आदेश प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 14.02.2014 तथा मै0 त्रेहान अपना घर प्रा0 लि0 जरिये निदेशक श्री अशोक सैनी पुत्र श्री सोहन लाल सैनी निवासी नया बास अलवर, द्वारा ग्राम धिरियावास तह0 तिजारा के ख0न0 940/498 कुल किता 01 कुल रकबा 800 वर्ग मी0 भूमि का आवासीय प्रयोजनार्था राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए के अन्तर्गत आदेश प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 14.01.2019 एवं मै0 अपना घर विल्डवैल प्रा0 लि0 जरिये निदेशक श्री अशोक सैनी पुत्र श्री सोहन लाल सैनी निवासी नया बास अलवर, द्वारा ग्राम धिरियावास तह0 तिजारा के ख0न0 499, 953/601, 608 कुल किता 03 कुल रकबा 12620 वर्ग मी0 भूमि का आवासीय प्रयोजनार्था राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए के अन्तर्गत आदेश प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 14.01.2019 को पारित किये जा चुके है इस प्रकार आवेदित भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र की 90–ए की कार्यवाही की जा कर भूमि राजस्व रिकार्ड में बीडा भिवाडी के नाम दर्ज हो चुकी है। जो पत्रावली में संलग्न है।
7	मास्टर प्लान में भूमि का उपयोग	ग्रेटर भिवाडी मास्टर प्लान 2031 के अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयोग उच्च घनत्व हेतु प्रस्तावित है।
8	प्रकरण के तथ्य एवं विचारणीय बिन्दु	01. पटवारी/कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत चैक लिस्ट के अनुसार प्रकरण में आवेदक की कुल भूमि राजस्व रिकार्ड के अनुसार 51821.00 वर्गमीटर भूमि है एवं सुपरईम्पोजिसन एवं मौके अनुसार भूमि का रकबा 47627.63 वर्ग मी0 प्राप्त होता है। 02. मौका रिपोर्ट अनुसार भूमि एसएच–25 से धिरियावास जाने वाली सडक पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार 18 मीटर प्रस्तावित है। प्रस्तावित 18 मी0 चौडी सडक में भूमि नही आती है। जल संसाधन विभाग के पत्र दिनांक 29.05.2019 अनुसार आवेदित खसरा नम्बर 953/611 नौगावा मसीत एवं नाखनौल बांध के वेस्ट वियर से निकलने वाले पानी के बहाव क्षेत्र में सम्पूर्ण खसरा स्थित है। अतः उक्त खसरा नम्बर में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही किया जावे तथा

Scanned with CamScanner

		भूमि निर्माण से मुक्त रखा जाना प्रस्तावित है। अतः विचारार्थ। 03. जल संसाधन विभाग के पत्र दिनांक 05.07.2019 के अनुसार नाले के मूल बहार तथा मूल स्वरूप को प्रभावित नही करते हुये एलिवेटेड रोड का निर्माण एवं किसी भी प्रकार का निर्माण नाले के बहाव क्षेत्र में नही किये जाने की शर्त अंकित की गई है। अतः विचारार्थ । 04. आवंटन योग्य भूखण्ड का क्षेत्रफल 20000 वर्ग मी0 से अधिक होने पर आवेदित भूमि में से 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र (1996.14 वर्ग मी0) समर्पित किया जाना है तथा नविवि के आदेश अनुसार मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रकरणों में शिथिलता देते हुए कुल गणना योग निर्मित क्षेत्र का न्यूनतम 1 प्रतिशत अथवा 750 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र जो भी कम हो सामुदायिक भवन निर्मित करना होगा। अतः विचारार्थ। 05. भूखण्ड का क्षेत्रफल 5000 वर्गमीटर से अधिक होने के कारण प्रकरण को आवंटन/रूपान्तरण की स्वीकृति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना है। किन्तु मुख्यमंत्री जन आवास योजना हेतु आवंटन की समस्त क्षेत्रफल की शक्तियॉ स्थानीय समिति को ही है। अतः विचारार्थ। 06. प्रकरण में किसी तकनीकी संस्थान से एलिवेटेड रोड के संबंध में रिपोर्ट लिया जाना प्रस्तावित है। अतः विचारार्थ।

निर्णयः– समिति द्वारा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से आवेदित भूमि का ले–आउट प्लान मुख्यमंत्री जन आवास
माननीय उच्च न्यायालय के
योजना में समिति द्वारा प्रकरण में अब्दूल रहमान की समस्त शर्तो की पालना सुनिश्चित करते हुये किसी
बनाम राज्य सरकार में दिए [illegible]
तकनीकी संस्थान से डी.पी.आर. प्रस्तुत किये जाने के पश्चात आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

श्रीमती इशिता जे कुमार उप नगर नियोजक	श्री विनित कुमार नगायच अधिशाषी अभियन्ता (सदस्य)	रतन लाल का0 तहसीलदार/ भूमि निरीक्षक (सदस्य)	श्री पूर्णा राम बेनीवाल वरि0 नगर नियोजक (सदस्य सचिव)	20/12/19 श्री नीलाभ सक्सेना मुख्य कार्यकारी अधिकारी (अध्यक्ष)

Scanned with CamScanner